

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

E-mail-dcourtdam-mp@nic.in *Contact no. 07812-222733 Fax-227733*

-:: संशोधित निविदा ::-

क्रमांक-2450 / नजारात / साईकिल स्टैण्ड / 2024-25

दमोह, दिनांक 24 अगस्त, 2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर दमोह में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए माह अक्टूबर 2024 से माह मार्च 2025 तक वाहन स्टैण्ड हेतु निविदाएं की अंतिम तिथि दिनांक 10.09.2024 को सायंकाल 05:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तों के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661) के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं:-

- 1- वाहन स्टैण्ड हेतु निविदा संलग्न निविदा प्रारूप पर पूर्ति कर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता-जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661) के माध्यम से प्रेषित करना होगा।
- 2- वाहनों के स्टैण्ड पर रखने की दरें-
(ए) साईकिल रूपये-5/- प्रतिदिन अथवा रूपये-100/- प्रतिमाह।
(बी) मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/टू-व्हीलर रूपये-10/- प्रतिदिन अथवा रूपये-200/- प्रतिमाह।
(सी) चार पहिया वाहन रूपये-20/- प्रतिदिन अथवा रूपये-300/- प्रतिमाह होगी।
- 3- न्यायिक अधिकारियों/तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अभिभाषक संघ सदस्यों को वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है, उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निशुल्क पात्रता होगी।
- 4- लोककल्याण हेतु ठंडे पानी के मटके/प्याऊ स्टैण्ड के समीप स्थापित करनी होगी।
- 5- ठेके की नीलामी बोली लगाने वाले व्यक्ति को 5000/- (पांच हजार मात्र) (अर्नेस्ट मनी) अमानत के रूप में जमा कराना होगा।
- 6- साईकिल स्टैण्ड ठेके की न्यूनतम बोली राशि 30,000/- (तीस हजार मात्र) है, उक्त राशि एक मुस्त जमा करनी होगी, नीलामी कार्यवाही दिनांक 19.09.2024 को न्यायालय परिसर, दमोह में समय सुबह 11:00 से शाम 05:00 बजे तक सम्पन्न की जावेगी।
- 7- निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जाएगी।
- 8- न्यायालय परिसर से साईकिल स्टैण्ड पर वाहन रखने वाले व्यक्ति को ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से कूपन (रसीद) प्रदाय किया जावेगा।
- 9- ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड पर रेंट लिस्ट बोर्ड पर बनवाई जाकर साफ-साफ अक्षरों में दर्शाई जावेगी।
- 10- वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध-गृहीता की होगी।
- 11- विभागीय कथ समिति की सिफारिश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह क अनुमोदन पर तत्काल अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट देने पर ही अधिकतम दर की निविदा स्वीकृत कर शेष राशि जमा करने की सूचना दी जावेगी।
- 12- नियंत्रणाधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
- 13- प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
- 14- वार्षिक अनुबंध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः अनुबंध प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

संलग्न-निविदा फार्म

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह(म.प्र.)

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

- 1- Rate Quotation of the Tenderer
- 2- Earnest money Rupees : 5,000/- will be deposit till date ----- time
05:00 PM.
- 3- PAN No. Enclose copy of current Income Tax
Return.
- 4- TIN No. Enclose copy of live registration.

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us

Signature

Name & address with Seal & Date

.....
.....
.....
.....

Phone (O)

Fax

(M)

E-mail